

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

अष्टम् सत्र

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

### 1. शोकोद्गार:

स्वर्गीय श्री रिखी राम कौण्डल, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

### 2. प्रश्नोत्तर:

#### (1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

#### (2) अतारांकित:

(i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के  
(ii) दिन के लिए } उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

### 3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, सोमवार, 23 मार्च, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

#### 4. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतन नियतन और वरिष्ठता का विनियमन), नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एस-IV)-ए(3)-1/2018 दिनांक 25.02.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.03.2020 को प्रकाशित;
  - (ii) हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 141(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(ए)-ए(3)-2/2007-IV दिनांक 17.12.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.12.2019 को प्रकाशित;
  - (iii) हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, की धारा 70 व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन नियम, 2011 की धारा 10 व 11 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का तीसरा वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;
  - (iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (रूपटाप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नेट मीटरिंग पर आधारित) विनियम, 2015(ऑर्डर) जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-एच(1)-11/2017 दिनांक 30.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.04.2019 को प्रकाशित;
  - (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) (दसवां संशोधन) विनियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/151/वॉल-III दिनांक 10.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.06.2019 को प्रकाशित;

- (vi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी-एच(1)25 दिनांक 29.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2019 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सृजन का प्रोत्साहन और नियम और शर्तों के लिए शुल्क निर्धारण)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/428 दिनांक 11.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2019 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी-(एच)(1)-1/2012 दिनांक 26.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.11.2019 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड) जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/-438-सप्लाइ कोड दिनांक 13.12.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.12.2019 को प्रकाशित; और
- (x) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) (छठा संशोधन) 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/438 दिनांक 05.02.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2020 को प्रकाशित ।

((iv) से (x) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

- (2) श्री विक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियमन एवं शर्तों) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के 7वें, 8वें व 9वें वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे ।

## 5. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
  - (i) समिति का 109वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति का 110वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iii) समिति का 111वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iv) समिति का 112वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (v) समिति का 113वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है;
  - (vi) समिति का 114वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित है;

- (vii) समिति का **115वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है;
- (viii) समिति का **116वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ix) समिति का **117वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (x) समिति का **118वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (xi) समिति का **119वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (xii) समिति का **120वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 122वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;
- (xiii) समिति का **121वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 44वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

- (xiv) समिति का 122वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 46वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xv) समिति का 123वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है;
- (xvi) समिति का 124वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 56वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;
- (xvii) समिति का 125वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 57वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;
- (xviii) समिति का 126वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 59वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;
- (xix) समिति का 127वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित है;
- (xx) समिति का 128वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वित्त विभाग(आधिक्य) से सम्बन्धित है;

- (xxi) समिति के 174वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (xxii) समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (षष्ठम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और
- (xxiii) समिति के 87वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 149वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) श्री रमेश चन्द धवाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

- (i) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियों व आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है;
- (ii) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि खजियार झील के पुनरूद्धार, संरक्षण और सौंदर्यकरण पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है; और
- (iv) समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना प्रथम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13) के ऑडिट पैरा संख्या:2.2.1 से 2.2.8.4 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत क्रय अनुबन्ध से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2013-14) के ऑडिट पैरा संख्या:3.1 से 3.2 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्या:3.8 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है;



- (iv) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्या:2.1 से 2.21 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम** से सम्बन्धित है;
- (v) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा संख्या:3.10 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और
- (vi) समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या:2.1 से 2.1.21 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम** से सम्बन्धित है ।
- (4) **श्री सुख राम,सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** जोकि मांग संख्या:32 अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;और
- (ii) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** जोकि मांग संख्या:31 जनजातीय विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

- (5) श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का पंचम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और
  - (ii) समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।
- (6) कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 9वां मूल प्रतिवेदन जोकि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 10वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:22 के अन्तर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
  - (iii) समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:4 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।
- (7) श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 18वां मूल प्रतिवेदन जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि वित्त विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है;

- (iii) समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:8 उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
  - (iv) समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:30 विविध सेवाएं के अन्तर्गत सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।
- (8) श्री हीरा लाल,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:26 के अन्तर्गत पर्यटन और नागर विमानन विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:25 के अन्तर्गत सड़क एवं जल परिवहन विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (iii) समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है; और
  - (iv) समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है ।

- (9) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 17वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:12 के अन्तर्गत उद्यान विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (ii) समिति का 18वां मूल प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:20 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;
  - (iii) समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और
  - (iv) समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 20वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है ।

## 6. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004  
दिनांक: 21 मार्च, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(अष्टम सत्र)

सोमवार, 23 मार्च, 2020/ 3 चैत्र, 1942 (शक) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

---

मद संख्या

शुद्धियां

---

तारांकित कुल प्रश्न 61

\*2862

विलोप किया गया ।

शिमला

दिनांक: 21.03.2020

यशपाल शर्मा,

सचिव

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व और जिला प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	1. नीति का अननुमोदन	5
--	---------------------	---

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"भू-राजस्व व जिला प्रशासन"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री हर्षवर्धन चौहान,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री राकेश सिंघा,
4. श्री आशीष बुटेल ।

- (1) सरकार की जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन।
- (2) सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन।
- (3) सरकार की प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 6 - आबकारी और कराधान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	1. नीति का अननुमोदन	6
--	---------------------	---

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"आबकारी और कराधान"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री हर्षवर्धन चौहान,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह ।

(1) सरकार की वर्तमान आबकारी नीति का अननुमोदन ।

(2) सरकार की अफीम आदि क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

सूची सं0-3

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

<u>सदस्य का नाम</u>	<u>कटौती प्रस्ताव</u>	<u>मांग संख्या:</u>
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पुलिस और सम्बद्ध संगठन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	7

1. श्रीमती आशा कुमारी,
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री राम लाल ठाकुर,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री नन्द लाल,
7. श्री अनिरुद्ध सिंह,
8. श्री आशीष बुटेल,
9. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की अग्निशमन संरक्षण व गृहरक्षकों की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*



# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 8- शिक्षा**

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “शिक्षा” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	8

1. श्रीमती आशा कुमारी,
2. श्री जगत सिंह नेगी,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री राकेश सिंघा,
6. श्री अनिरुद्ध सिंह,
7. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की मुख्यमन्त्री ज्ञानदीप योजना व वर्दी योजना नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 18.03.2020

सचिव,  
विधानसभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b>	<b>9</b>
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	
1. श्री जगत सिंह नेगी, 2. श्रीमती आशा कुमारी, 3. श्री हर्षवर्धन चौहान, 4. डॉ०(कर्नल) धनी राम शांडिल, 5. श्री राजेन्द्र राणा, 6. श्री अनिरुद्ध सिंह, 7. श्री राकेश सिंघा, 8. श्री नन्द लाल, 9. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, 10. श्री आशीष बुटेल।	1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन। 2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों व महाविद्यालयों में भर्ती नीति का अननुमोदन। 3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन। 4. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन। 5. सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना (हिम केयर) व मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के कार्यान्वयन की नीति का अननुमोदन।	

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधानसभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन	10
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।	
1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, 2. श्रीमती आशा कुमारी, 3. श्री राम लाल ठाकुर, 4. श्री हर्षवर्धन चौहान, 5. श्री जगत सिंह नेगी, 6. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, 7. श्री राकेश सिंघा, 8. श्री लखविन्द्र सिंह राणा, 9. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, 10. श्री नन्द लाल, 11. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, 12. श्री अनिरुद्ध सिंह, 13. श्री राजेन्द्र राणा, 14. श्री विक्रमादित्य सिंह, 15. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, 16. श्री आशीष बुटेल ।	1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन । 2. सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन । 3. सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन । 4. प्रधानमन्त्री ग्रामीण एवं केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के कार्यान्वयन की नीति का अननुमोदन ।	

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधानसभा ।

\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	<p>1. नीति का अननुमोदन</p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “कृषि” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p>	11
1. श्री हर्षवर्धन चौहान, 2. श्री राकेश सिंघा, 3. श्री अनिरुद्ध सिंह, 4. श्री आशीष बुटेल ।	<p>1. किसानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन । 2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन । 3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन । 4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन । 5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ करने की नीति का अननुमोदन । 6. प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना नीति का अननुमोदन ।</p>	

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री राकेश सिंघा,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री अनिरुद्ध सिंह ।

1. बागवानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को सुदृढीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
8. श्री अनिरुद्ध सिंह,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी एवं नदियों के तटीयकरण की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन**

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग <b>“वन और वन्य जीवन”</b> की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	<b>16</b>

1. श्री हर्षवर्धन चौहान,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री राकेश सिंघा,
4. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की पौधरोपण नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

18

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री राम लाल ठाकुर,
4. श्री राकेश सिंघा,
5. श्री अनिरुद्ध सिंह,
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
7. श्री सतपाल सिंह रायजादा,
8. श्री राजेन्द्र राणा ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की रेशम उत्पादन नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की ग्रामीण तथा लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*



# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 23- विद्युत विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	23
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “विद्युत विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री राकेश सिंघा,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री अनिरुद्ध सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान विद्युत विकास नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की हाईडल परियोजना की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की वर्तमान में प्रदेश की जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा क्षमता के दोहन की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्या:

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b>	<b>26</b>
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पर्यटन और नागर विमानन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	
1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,		
2. श्रीमती आशा कुमारी,		
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,		
4. श्री नन्द लाल,		
5. श्री विक्रमादित्य सिंह,		
6. श्री राजेन्द्र राणा,		
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,		
8. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,		
9. श्री अनिरुद्ध सिंह,		
10. श्री राकेश सिंघा		
11. श्री आशीष बुटेल ।		
	1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन ।	
	2. सरकार की विमानपत्तन(एयरपोर्ट) के निर्माण नीति का अननुमोदन ।	
	3. सरकार की रज्जु मार्गों के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।	
	4. सरकार की पुर्नवास और एयरपोर्ट्स/हैलीपोर्ट्स के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।	

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा  
आवास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

28

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री हर्षवर्धन चौहान,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की शहरों में वर्तमान सफाई, पार्किंग, मल निकासी की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की शहरी विकास विभाग के भवनों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 30 - विविध सामान्य सेवाएं

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	30

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“विविध सामान्य सेवाएं” की राशि घटाकर एक  
रूपया कर दी जाए।

श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की खेलकूद तथा युवा सेवाओं में खेलों की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान खेल सामग्री क्रय करने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की भाषा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मन्दिरों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2020-21 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	<u>नीति का अननुमोदन</u>	32
--	-------------------------	----

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“अनुसूचित जाति उप-योजना”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. डॉ०(कर्नल) धनी राम शांडिल,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री राकेश सिंघा,
5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
6. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
7. श्री नन्द लाल ।

1. सरकार की वर्तमान कल्याण विभाग द्वारा गृह आबंटन की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नीति का अननुमोदन।
3. शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 17.03.2020

सचिव,  
विधान सभा।